

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./बजट/2018/ 521

भोपाल, दिनांक 28/09/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला - शहडोल, ग्वालियर, उज्जैन, कटनी, विदिशा, बालाघाट, इंदौर, देवास, हरदा, खरगोन, सागर, गुना, खंडवा, शिवपुरी एवं धार

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/अधीक्षक/प्राचार्य

जिला अस्पताल - इंदौर, देवास, डिंडोरी, कटनी, सीधी, रायसेन, उमरिया, रीवा, बालाघाट, अशोकनगर, बड़वानी, सागर, जबलपुर, इटारसी एवं ग्वालियर

मध्य प्रदेश

विषय : जिला अधिकारियों के लिये बजट प्रक्रिया, उपयोग प्रभावी नियंत्रण एवं अंकेक्षण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 08-12 अक्टूबर 2018.

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल में जिला अधिकारियों के लिये बजट प्रक्रिया, उपयोग प्रभावी नियंत्रण एवं अंकेक्षण विषय पर प्रशिक्षण दिनांक 08-12 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। इसके तहत वित्तीय प्रबंधन तथा अंकेक्षण के मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त अधिकारी प्रशिक्षण प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के हॉस्टल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था हॉस्टल में रहेगी, हॉस्टल में प्रशिक्षणार्थी के अलावा अन्य किसी परिजन अथवा मित्र को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी, अतः नामांकित अधिकारी के स्थान पर अपने स्तर से किसी अन्य अधिकारी को बिना पूर्व अनुमति के प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजे।
7. प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, नामांकित अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की राशि संबंधित अधिकारी से वसूली योग्य होगी।
8. नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी munshi.rakesh@gmail.com पर प्राप्त करना आवश्यक है।

9. प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशासन अकादमी परिसर में व्यायाम, जिम एवं योग आदि की सुविधा उपलब्ध है, अतः इस संबंध में आवश्यक तैयारी के साथ प्रशिक्षण में भाग ले।

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की संचालक श्रीमती प्रज्ञा अवस्थी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इससे संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में अन्य किसी भी जानकारी अथवा शिकायत/सुझाव के लिये ई-मेल आईडी jd.rcvpn@gmail.com अथवा दूरभाष नं. 0755-2445036 पर इनसे संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न -अधिकारियों की नामांकन सूची।



(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/09/2018

पृ. क्र./प्रशि./बजट/2018/522

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. अपर संचालक, प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।



संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

जिला अधिकारियों के लिये
बजट प्रक्रिया, उपयोग प्रभावी नियंत्रण एवं अंकेक्षण विषय पर
प्रशिक्षण कार्यक्रम 08-12 अक्टूबर 2018

क्र.	नाम	पद	पदस्थापना स्थल
1	डॉ. सी.बी. सोलंकी	संयुक्त संचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
2	डॉ. राजेश पाण्डे	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	शहडोल
3	डॉ० मृदुल सक्सेना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	ग्वालियर
4	डॉ० राजू निदारिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	उज्जैन
5	डॉ. एस.के. निगम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	कटनी
6	डॉ. शशी ठाकुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	विदिशा
7	डॉ. मनोज पाण्डे	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बालाघाट
8	डॉ. एच.एन. नायक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	इंदौर
9	डॉ. एस.के. सरल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	देवास
10	डॉ० किशोर कुमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	हरदा
11	डॉ० रमेश नीमा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	खरगौन
12	डॉ० आई.एस. ठाकुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सागर
13	डॉ० प्रदीप कुमार मिश्रा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	गुना
14	डॉ० रतन खंडेलवाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	खण्डवा
15.	डॉ. ए.एल. शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	शिवपुरी
16	डॉ. आर सी पनिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	धार
17	डॉ. एम.पी. शर्मा	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	इंदौर
18	डॉ० राकेश सक्सेना	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	देवास
19	डॉ० अजय राग	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	डिण्डौरी
20	डॉ० एस.के. शर्मा	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	कटनी
21	डॉ० एस.बी. खरे	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	सीधी
22	डॉ० बी.बी. गुप्ता	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	रायसेन
23	डॉ० वी.पी. पटेल	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	उमरिया
24	डॉ० संजीव शुक्ला	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	रीवा
25	डॉ० ए.के. जैन	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	बालाघाट
26	डॉ० ओ.पी. गुप्ता	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	अशोकनगर
27	डॉ० (श्रीमती) अनिता सिंगारे	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	बड़वानी
28	डॉ मिथिलेश कुमार चौबे	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	सागर
29	डॉ. (श्रीमती) निशा साहू	अधीक्षक, सिविल अस्पताल रानी दुर्गावती चिकित्सालय,	जबलपुर
30	डॉ. ऐ के तिवारी	अधीक्षक, सिविल अस्पताल इटारसी	इटारसी
31	डॉ. बीरेन्द्र सिंह यादव	उप संचालक, क्षेत्रीय संचालक, सागर संभाग	सागर
32	डॉ राकेश शर्मा	प्रचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र,	ग्वालियर


28/9